

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या

12/55/2020

रजि० नम्बर

2020/00078

प्रवेश तिथि

03-11-2020

निर्णय दिनांक

13-01-2021

01. आस मौहम्मद पुत्र श्री अन्धु जाति मेव निवासी हाजीपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

-अपीलांट

बनाम

01. तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर।

-रैस्पौ०

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़
दिनांक 13.03.2020 अन्तर्गत धारा 91 भू० राजस्व
अधिनियम प्रकरण संख्या 61/2020

उपस्थित:-

01-श्री मौहम्मद फारुख खान

-वकील अपीलाण्ट

-:निर्णय:-

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 13.03.2020 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम हाजीपुर की सरकारी सिवायचक भूमि के आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 0.91 है० में से 0.25 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रैस्पौ० को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम हाजीपुर की सरकारी सिवायचक भूमि के आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 0.91 है० में से 0.25 है० पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 05.03.2020 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने एक माह की सजा व पैनल्टी से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि० 13.03.2020 अपास्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलाण्ट ने आदेश दिनांक 13.03.2020 के विरुद्ध दिनांक 03.11.2020 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांट द्वारा दिनांक 03.11.2020 को विवादित आराजी पर कब्जा नहीं करना बताया है तथा तहसीलदार रामगढ़ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 23.11.2020 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांट का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलाण्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट्स को आरोपित सजा से मुक्त किया जाता है तथा अपीलाण्ट्स को दण्ड स्वरूप पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13-01-2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)